उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग- 2
संख्या-82/2026/आई/1379776/2026/65-2002(099)/4/2026
लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2026

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में "स्कूल जाने वाली/शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राइसाइकिल प्रदान करने हेतु निम्नवत नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1	**नाम**	**"स्कूल जाने वाली/शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिए जाने हेतु अनुदान नियमावली, 2026"**
2	**प्रारम्भ**	यह नियमावली वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रवृत्त होगी।
3	**परिभाषा**	जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-
	(1)	नियमावली का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में "स्कूल जाने वाली/शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिए जाने हेतु अनुदान नियमावली 2026" से है।
	(2)	नियमावली के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसी छात्राओं से है, जिनकी दिव्यांगता संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो।
	(3)	अनुदान का तात्पर्य इस नियमावली के अन्तर्गत परिभाषित किये गये दिव्यांगजन को प्रदान की जाने वाली "ई-ट्राईसाइकिल" पर होने वाले व्यय से है।
	(4)	निदेशक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के निदेशक से है।
	(5)	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी का तात्पर्य संबंधित जनपद के "जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी" से है।
	(6)	जिलाधिकारी का तात्पर्य "संबंधित जनपद के जिलाधिकारी" से है।
	(7)	राज्य का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश राज्य" से है।
4	**उद्देश्य**	ऐसी स्कूल जाने वाली/शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्रायें जो दैनिक कक्षाओं लाइब्रेरी, लैब, हास्टल आदि में सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। उनको "ई-ट्राईसाइकिल" प्रदान कर उनका शैक्षिक पुनर्वासन करना है।
5	**अनुदान की दर**	इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की अधिकतम धनराशि रू0 65 हजार प्रति ई-ट्राईसाइकिल अनुमन्य होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	**पात्रता**	योजनान्तर्गत निःशुल्क "ई-ट्राईसाइकिल" प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांगजन पात्र होंगे:-
	(1)	दिव्यांगता की स्थितिः- नियमावली के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, संबंधित दिव्यांग छात्रा "ई-ट्राईसाइकिल" पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उनकी दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो, को जनपद में प्राप्त आवेदनों की सूची से दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में लाभान्वित किया जायेगा।
	(2)	क्षमताः- दिव्यांग छात्रा जिन्हें ई-ट्राईसाइकिल प्रदान की जानी है की 'पात्रता' के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थितियों के अतिरिक्त, जनपद स्तर की तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण किया जायेगा और भौतिक परीक्षण में ई-ट्राईसाइकिल हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ही छात्रा को ई-ट्राईसाइकिल प्रदान करने की अग्रेतर प्रक्रिया की जायेगी। जनपद स्तर की तकनीकी समिति में जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी होंगें। इस समिति का गठन प्रत्येक जनपद में ई-ट्राईसाइकिल हेतु तकनीकी समिति के नाम से जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।
	(3)	आयुः-16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक के दिव्यांगजन, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे।
	(4)	आयः-दिव्यांगजन या उसका परिवार आयकर दाता न हो, किन्तु शर्त यह है कि सर्वप्रथम लक्ष्य के सापेक्ष गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को संतृप्त किया जायेगा। उसके पश्चात् यदि लक्ष्य अवशेष रहता है तो दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में तथा आय के बढ़ते हुए क्रम में लाभान्वित किया जायेगा।
	(5)	अवधिः- इस योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को 05 वर्ष में एक बार ई-ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जायेगा। विशेष बिन्दुः- 1. योजना में लाभान्वित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि दिव्यांगजन जिन्हें लाभान्वित किया जाना है, को भारत सरकार/स्थानीय निकाय/मा0 सांसद निधि/मा0 विधायक निधि/या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्रोतों से उसे ई-ट्राईसाइकिल से पूर्व में 05 वर्ष की अवधि की सीमा में लाभान्वित नहीं किया गया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	**अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध**	अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार होंगेः-
	(1)	आवेदन की प्रक्रिया आनलाईन होगी। किसी भी पात्र दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित वेब पोर्टल पर प्रदर्शित प्रारूप-पत्र को भर कर आवेदन किया जायेगा।
	(2)	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमावली में उल्लिखित पात्रता के अनुसार उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष "प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त" के आधार पर सूचीबद्ध कर, उपलब्ध बजट के अनुसार लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा ई-ट्राईसाइकिल हेतु अनुमोदन समिति का गठन किया जायेगा। अनुमोदन समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी, सदस्य सचिव सम्बन्धित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, सदस्य के रूप में मुख्य चिकित्साधिकारी, सहायक-सम्भागीय परिवहन अधिकारी सम्मिलित होंगे।
	(3)	जनपद स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत स्कूल जाने वाली एवं शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं के संस्थान द्वारा अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र संबंधित संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा की जायेगी।
	(4)	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा ई-ट्राईसाइकिल वितरण से सम्बन्धित पंजिका रखी जायेगी, जिसमें आधार व यूनिक डिस्एबिलिटी आईडेन्टिटी कार्ड (यू0डी0आई0डी0) के साथ लाभान्वित होने की तिथि सहित लाभार्थी का पूरा विवरण अंकित किया जायेगा।
	(5)	इस योजनान्तर्गत यदि किसी दिव्यांग छात्रा के आवेदन-पत्र को निरस्त किया जाता है तो उसे पूरे विवरण सहित कार्यालय द्वारा वर्षवार पंजिका में दर्ज किया जायेगा व निरस्त करने के स्पष्ट कारण सहित आवेदक को भी अवगत कराया जायेगा।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

4- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1/3।

12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

राकेश कुमार यादव

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।